मध्यप्रदेश शासन

जनसम्पर्क विभाग,

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 21 /10/2014

क्रमांक/ क्रमांक एफ 5-24/2014/जसं/24 :-राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को लेपटाप वितरण के लिये निम्नानुसार पात्रता एवं शर्तो का निर्धारण करता है :-

1. राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार ही पात्र होगें।
2. समाचार पत्रों एवं संस्थानों में सक्रिय रूप से कार्यरत पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर लेपटाप प्रदान किया जायेगा। प्रथमतः पूर्णकालिक/पत्रकारिता से सक्रिय रूप से जुडे और ऐसे पत्रकार जो विगत पांच वर्षो से निरंतर राज्य स्तरीय पत्रकार है, वो इस योजना के पात्र होगें।
3. स्वतंत्र पत्रकार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे है, उनकी पात्रता के लिये प्रकरण पत्रकार कल्याण समिति के समक्ष अनुमोदन/अनुशंसा के लिये रखे जायेगें।
4. ऐसे राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार जो प्रबंधक/मालिक है, वो पात्र नहीं होगें।
5. जनसंपर्क विभाग/आकाशवाणी/दूरदर्शन/न्यूज एजेंसी/प्रेस फोटो ग्राफर्स/बेवसाइट या शासकीय-अशासकीय अन्य संस्थानों से सेवानिवृत्त हो चुके है या सेवा में है, वो पात्र नहीं होगें।
6. पत्रकारों को लेपटाप देने से पूर्व सहमति पत्र प्राप्त किया जायेगा।
7. मध्य प्रदेश में कार्यरत राज्य स्तरीय पत्रकार ही इसके लिये पात्र होगें। प्रदेश के बाहर कार्यरत पत्रकार इस योजना के पात्र नहीं होगें।

   पत्रकारों को लेपटाप वितरण हेतु यूनिट कास्ट ₹ 40,000/- (₹ चालीस हजार) की राशि निर्धारित की गई है, जो उनके बैंक खातों में लेपटाप के लिये उनके बिल या कोटेशन प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिल माथुर)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

निरंतर... 2

पृष्ठा. क्रमांक एफ 5-24/2014/जसं/24 भोपाल, दिनांक 21 /10/2014

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, म०प्र० ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, वित्त विभाग ।
3. प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ।
4. अपर सचिव, म०प्र०शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय ।
5. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, बाणगंगा, भोपाल ।
6. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, जनसम्पर्क विभाग, भोपाल ।
7. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
9. स्टॉक फाईल ।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग

जनसम्पर्क संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन

कार्यवाही विवरण

राज्य शासन द्वारा पत्रकारों को लैपटाप वितरण की नीति पर विचार करने के लिए गठित वरिष्ठ पत्रकारों की समिति की आज दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को यहां बैठक हुई। बैठक में पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव, श्री गिरजा शंकर, श्री उमेश त्रिवेदी, संचालक जनसम्पर्क श्री लाजपत आहूजा और अपर संचालक पत्रकार कल्याण श्री मंगला प्रसाद मिश्रा उपस्थित थे।

समिति ने राज्य शासन द्वारा लैपटाप वितरण के लिए 21.10.2014 को जारी आदेश में निम्नानुसार संशोधन करने की अनुशंसा की :-

1 आदेश के क्रमांक 1 में सक्रिय राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार ही पात्र होंगे।

2 आदेश का क्रमांक 2 और 3 विलोपित किया जाए।

3 आदेश के क्रमांक 5 में न्यूज एजेंसी के स्थान पर फीचर एजेंसी किया जाए।

4 शासन के उक्त आदेश के शेष बिन्दुओं को पूर्ववत समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।